न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 224/2023
अनवान : –

1. चंवरीलाल पुत्र गजानन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 117/116 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम चंवरीलाल पुत्र गजानन्द दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम गजानन्द शर्मा है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का के पिता का नाम गजानन्द के स्थान पर गजानन्द शर्मा दर्ज किया करने के आदेश फरमावे यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि में वादी के पिता का नाम गजानन्द दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम गजानन्द शर्मा है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी के पिता का नाम गजानन्द के स्थान पर गजानन्द शर्मा दर्ज करने के आदेश फरमावे वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के [illegible] रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 117/116 की कुल 13.9150 [illegible] हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम गजानन्द दर्ज है वादी [illegible] राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में अपने पिता का नाम गजानन्द के स्थान पर गजानन्द शर्मा दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी के पिता का नाम गजानन्द शर्मा अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 117/116 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में **वादी का नाम चंवरीलाल पुत्र गजानन्द के स्थान पर चंवरीलाल पुत्र गजानन्द शर्मा के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......21/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:44:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 224/2023
अनवान : –

1. चंवरीलाल पुत्र गजानन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 224 सन 2023 निर्णय दिनांक 21/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 117/116 की कुल 13.9150 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में **वादी का नाम चंवरीलाल पुत्र गजानन्द के स्थान पर चंवरीलाल पुत्र गजानन्द शर्मा के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक......21/11/25.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:44:43 IST
Reason: SelfAttested